

# आदेश - पत्रक

अनुसूचित 14-फारम नं० 562

(देखें अभिलेख 1941 का नियम 129)

आदेश पत्रक ..... ता० ..... से ..... तक MS/13  
 जिला ..... से ..... 200 .....

आदेश की क्र० सं० और ता०	आदेश और प्राधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गयी कारवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
1	2	3

10/05/13

श्री मती सरोज जैन उर्फ सरोज डौसी  
 पति स्व० काबु लाल डौसी उर्फ जगेश कुं जैन  
 जन्म ..... प्रायः लहमी निवास चौक  
 थाना ..... जिला ..... परना  
 के द्वारा नं० ~~3~~ **अधिकांश** दिनांक **शपथ पत्र सं० 180**  
**दिनांक 15/05/13**  
 के आधार पर निम्नांकित जमीन पर दाखिल खारिज हेतु आवेदन पत्र दाखिल  
 किया है।

मौजा का नाम	तौजी नं०	खता नं०	खसरा	एराजी लागत
फिलौदरी	139	48	1196	028 <del>रु०</del>
थाना नं० 18	<b>पडिग</b>	<b>सीट नं० सखि</b>	<b>या</b>	
	28	259 184	M.S.P.	
			954	

16/05/13

मूल आवेदन पत्र हलका कमलाजी को अंचल निरीक्षक के माध्यम से  
 प्रतिवेदन हेतु द द. महाल में प्रेषित कर अपात की जाय कर।  
 अभिलेख दिनांक **16/05/13** को उपलब्ध करे।  
 अंचल अधिकारी अंचल अधिकारी

महाल या तामिला नैदिस प्राप्त है। कोई अपात प्राप्त नहीं है।  
 कमलाजी को प्रतिवेदन अंचल निरीक्षक के माध्यम से प्राप्त है। उन लोगों ने  
 आवेदन के नाम दाखिल खारिज करने की अनुमति दिये हैं। तबला: उनके  
 अनुशासक के आधार पर दाखिल खारिज  
 किया जाता है यदि पत्र जारी करे।  
 लिखित एवं शपथ पत्र।  
 अंचल अधिकारी अंचल अधिकारी